फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण व अन्य बनाम V/S सूरजमान व अन्य

नाम न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 23/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/01/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। वादीगण की ओर से निरन्तर अवसरों उपरान्त भी प्रकरण में अंतिम बहस प्रस्तुत नहीं की जाने पर हमने पत्रावली/प्रकरण के तथ्यों व पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया, तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत/उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात के गहन अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह प्रदर्शित/स्पष्ट होता है कि वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 479, 479/561 वादीगण की अविभाजित एकल खातेदारी की भूमि है। जिससे प्रतिवादी-1 का कोई सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं होता है, जबकि वादीगण द्वारा मात्र स्वयं की अविभाजित एकल खातेदारी की भूमि की सीमाओं की सुरक्षार्थ वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे वादीगण द्वारा प्रतिवादी-1 को अपनी उक्त भूमि की सुरक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाए जाने की अधिकारिता प्रदर्शित होती है। परन्तु साथ ही पत्रावली में उपलब्ध अन्य साक्ष्य दस्तावेजात (जो कि स्वयं वादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं) पर्चा मौका सीमाज्ञान दिनांक 25.09.20, भू प्रबन्ध अधिकारी का पत्र क्रमांक 513 दिनांक 12.4.21, फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 09.07.21, सुपर इम्पोज रिपोर्ट दिनांक 18.8.21 व विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के गहन अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पक्षकारान में लम्बी अवधि से सीमा विवाद प्रचलित है। जिसके बाबत पक्षकारान की भूमियों में अनुमत कृषि कार्य से इतर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग होने से तथा भूमियों में व्यावसायिक रूप के पक्का निर्माण होने से, अथक प्रयासों के उपरान्त भी पक्षकारान की भूमियों का मान्य/उचित रूप से सीमाज्ञान नहीं हो सका है। तथा उक्त संदर्भ में किए गए प्रयासों के P.T.O.

कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण व अन्य बनाम V/S सूरजमान व अन्य

कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुख्यालय-जयपुर

23/2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/01/25	अन्तर्गत पक्षकारान की भूमियों के मौका व रिकॉर्ड में भिन्नता पाई गई है। जिसका तकनीकी आधार पर ही सीमाज्ञान संभव हो पाना सीमाज्ञान संस्थाओं द्वारा व्यक्त किया गया है। जिससे मान्य/तकनीकी रूप से सीमाज्ञान पक्षकारान द्वारा नहीं करवाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को अपनी भूमियों के मान्य/विधिक/तकनीकी सीमाज्ञान होने तक जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम सालडवास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि खसरा नं. 479, 479/561 की मौके की यथास्थिति बनाए रखें तथा भूमि की सीमाओं पर किसी प्रकार की अविधिक/अनुचित कार्यवाही, निर्माण आदि ना करें तथा ना ही एक दूसरे के प्रचलित कब्जा काश्त में दखलन्दाजी कारित ना करें। निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:14:29 IST
Reason: SelfAttested